

स मा ह र णा ल य, कि श न गं ज

(जिला विधि प्रशाखा)

पत्रांक [III-02/2007-13])...../जि.विधि, किशनगंज, दिनांक11.2013.

प्रेषक :- वरीय उप समाहर्ता,
जिला विधि प्रशाखा,
किशनगंज।

सेवा में,

श्री विनोद कुमार सिंह,
कार्यक्रम पदाधिकारी,
मनरेगा, ठाकुरगंज।

विषय :- ठाकुरगंज थाना कांड संख्या 51/2013 में प्राप्त नोटिस के संबंध में।

महाशय,

विषयान्तर्गत विज्ञ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, किशनगंज के न्यायालय से निर्गत नोटिस की प्राप्त मूल प्रति द्वितीयक में संलग्न है।

अनुरोध है कि निर्धारित तिथि दिनांक 30.11.2013 को संबंधित न्यायालय में अपना साक्ष्य देना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही, प्राप्ति उपरान्त प्राप्ति प्रति सम्बन्धित न्यायालय में समर्पित करते हुए सूचना देने का कष्ट किया जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त मूल में (द्वितीयक में)।

विश्वासभाजन,

ह./-

वरीय उप समाहर्ता,
जिला विधि प्रशाखा,
किशनगंज।

ज्ञापांक 635...../जि.विधि, किशनगंज दिनांक22.....11.2013

प्रतिलिपि :- विज्ञ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, किशनगंज की सेवा में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा, किशनगंज की सेवा में अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि एतद् विषयक सूचना अपने स्तर से भी देने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :- जिला प्रबन्धक, आई.टी., किशनगंज को सूचनार्थ एवं सम्बन्धित को ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता,
जिला विधि प्रशाखा,
किशनगंज।